धान (चावल) की प्रत्यक्ष बुवाई - DSR

***संदर्भ:** पंजाब सरकार चावल की प्रत्यक्ष बुवाई (DSR) को बढ़ावा दे रही है, जिसमें 3,600 से 4,125 लीटर प्रति किलो की पारंपरिक विधि की तुलना में 15-20% कम पानी की आवश्यकता होती है।*

- **परिभाषा:**
  - पारंपरिक धान-रोपाई के स्थान पर आधुनिक तकनीक में धान के बीज प्रत्यक्षतः खेत में बोए जाते हैं।
  - यह कुशल और स्थायी तकनीक, किसानों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए लाभ प्रदाता हैं।
  - **शाकनाशी-सहिष्णु बासमती चावल**: ICAR ने उत्परिवर्तित ALS जीन के कारण शाकनाशी इमेजेथापायर के सीधे उपयोग की अनुमति देते हुए गैर-जीएम एचटी बासमती चावल किस्मों का व्यवसायीकरण किया है।
- **खरपतवार विविधता और जोखिम:**
  - इमेजेथापायर विशिष्ट चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को लक्षित करता है, सभी प्रकार के खरपतवारों को नहीं।
  - इस दौरान शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवार विकसित हो सकते हैं, जो धान (चावल) उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
  - बीटी-कॉटन और गुलाबी बॉलवर्म प्रतिरोध के साथ भी इसी तरह की चुनौतियाँ देखी गईं।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - बासमती चावल की खेती के लिए उत्तर पश्चिमी मैदानों (जैसे, पंजाब, हरियाणा) में डीएसआर का उपयोग किया गया है।
  - हरित क्रांति ने पानी की अधिक खपत वाले चावल की रोपाई को बढ़ावा दिया, जिससे पारिस्थितिकी संबंधी समस्याएँ पैदा हुईं।
- **डीएसआर में नवाचार:**
  - 2014 से 2017 तक, IARI करनाल में नवाचारों ने लागत कम करने और पानी बचाने के लिए जलवायु कारकों और पेंडीमेथालिन जैसे शाकनाशियों का उपयोग करके TAR-VATTAR तकनीक को अपनाने का नेतृत्व किया।
- **हाल ही में अपनाया गया और प्रभाव:**
  - COVID-19 के दौरान, श्रम की कमी के कारण पंजाब में DSR को अपनाने में वृद्धि हुई, जिससे इसकी व्यवहार्यता साबित हुई।
  - हरियाणा सरकार ने बड़े पैमाने पर DSR को अपनाकर 2022 में 31,500 करोड़ लीटर पानी बचाया।

DSR की कार्य-प्रणाली

- **पारंपरिक विधि:**
  - बीजों को नर्सरी में बोया जाता है और 25-35 दिनों के बाद पानी वाले खेतों में रोपा जाता है।
  - श्रम और पानी की अधिक खपत होती है, लेकिन पैदावार को अधिकतम करता है और फसल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है।
- **डीएसआर विधि:**
  - इसके लिए नर्सरी में तैयार करने या रोपाई की आवश्यकता नहीं है।
  - सामान्य रोपाई समय से 20-30 दिन पहले सीधे बीज बोए जाते हैं।
  - बीज बोने से पहले खेत की सिंचाई की जाती है और लेजर लेवलिंग की जाती है।
  - बीज बोने से पहले फफूंदनाशक से उपचारित किया जाता है।
  - पहली सिंचाई बुवाई के 21 दिन बाद, उसके बाद 7-10 दिन के अंतराल पर 14-17 बार सिंचाई की जाती है।
  - पारंपरिक विधि में 25-27 सिंचाई की आवश्यकता होती है।
- **मिट्टी की बनावट:**
  - यह भारी बनावट वाली मिट्टी के लिए उपयुक्त।
  - हल्की बनावट वाली मिट्टी को अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो पानी की बचत के लाभों का प्रतिकार करती है।
  - पंजाब की मिट्टी 20% हल्की बनावट वाली है; माझा और दोआबा क्षेत्रों में भारी बनावट वाली मिट्टी है, जबकि मालवा में मिश्रित बनावट वाली मिट्टी है।
- **लौह तत्व:**
  - लौह तत्व की कमी और खरपतवार की समस्या वाली मिट्टी डीएसआर के लिए अनुपयुक्त है।
  - डीएसआर के लिए जो उपयुक्त नहीं हैं... - कपास, मक्का और गन्ने की खेती वाले खेतों में आयरन की कमी हो सकती है।
  - पौधों से मिलने वाले आयरन वाली मिट्टी DSR के लिए आदर्श होती है।
  - प्रभावी उपयोग के लिए आयरन सप्लीमेंट्स को ऑक्सीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

DIRECT SEEDING vs TRANSPLANTING

Direct Seeding	Transplanting
-Relatively cheaper than transplanting	-Relatively costly
-Require less labor	-labor requirement is high
-Average yield is high	-Average yield is lower excepting long aged varieties
-Plants are usually healthier and have stronger, deeper root system	-Plants have not vigorous deep root system
-Final plant cover is random and looks natural	-Final plant cover is regular
-Large amount of seed is required	-Seed requirement is less
-Plant density is higher	-Plant density is optimum
-Weed control is difficult	-Easy of weed control

- **DSR के लाभ:**
  - कम सिंचाई की आवश्यकता होने पर 15% से 25% पानी की बचत होती है।
  - श्रम लागत कम होती है और श्रम की कमी की समस्या हल होती है।
  - मृदा के कठोर परत का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है जिससे भूजल वृद्धि में मदद मिलती है।
  - फसल को जल्दी पकने देकर पराली जलाने में कमी आती है।
  - सिंचाई के लिए कम पंपिंग के कारण 27% तक ऊर्जा की बचत होती है।
  - उर्वरक उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है।
  - खेतों में पानी भरने की आवश्यकता को समाप्त करके मीथेन उत्सर्जन में कमी आती है।
  - मिट्टी की संरचना में कम गड़बड़ी होती है।
- **DSR के नुकसान:**
  - पानी की कमी के कारण खरपतवार नियंत्रण मुश्किल होता है।
  - बड़ी मात्रा में बीजों की आवश्यकता होती है।
  - महंगी लेजर लैंड लेवलिंग की आवश्यकता होती है।
  - यह बारिश के प्रति संवेदनशील होता है; अतः मानसून से पहले बीज बोना चाहिए।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- भारी मात्रा में शाकनाशी के उपयोग से शाकनाशी-प्रतिरोधी खरपतवार उत्पन्न हो सकते हैं।
- एरोबिक मिट्टी की स्थिति नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को बढ़ाती है।
- असमान फसल उत्पादन से पैदावार कम हो सकती है।

केरल प्रवास सर्वेक्षण 2023

संदर्भ: *केरल प्रवास सर्वेक्षण (केएमएस) 2023 रिपोर्ट का अनावरण पिछले सप्ताह तिरुवनंतपुरम में किया गया।*

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

- **प्रवासियों की संख्या:**
  - वर्ष 2018 के 2.1 मिलियन से बढ़कर 2023 में 2.2 मिलियन होने का अनुमान है।
- **खाड़ी देशों में प्रवास में कमी:**
  - गैर-खाड़ी देशों में प्रवास गंतव्यों के लिए वरीयता 2018 में 10.8% से बढ़कर 2023 में 19.5% हो गई।
  - 1998 में, खाड़ी देशों में प्रवास गंतव्यों में केरल के 93.8% प्रवासी थे।
- **छात्रों का बढ़ता प्रवास:**
  - उच्च शिक्षा के लिए खाड़ी देशों में प्रवास के बाहर के गंतव्यों को पसंद करने वाले छात्र प्रवासियों की संख्या में वृद्धि।
  - कुल प्रवासियों में छात्रों की संख्या 11.3% है, जिनकी संख्या 2018 में 129,763 से लगभग दोगुनी होकर 2023 में 250,000 हो जाएगी।
- **अधिक महिलाएँ प्रवास कर रही हैं:**
  - प्रवासियों में महिलाओं का अनुपात 2018 में 15.8% से बढ़कर 2023 में 19.1% हो गया।
  - 71.5% महिला प्रवासी स्नातक हैं, जबकि पुरुषों में यह संख्या 34.7% है।
  - 51.6% महिला प्रवासी नर्सिंग में काम करती हैं, और 45.6% छात्र प्रवासी महिलाएँ हैं।
  - 40.5% महिला प्रवासी पश्चिमी देशों में हैं, जबकि पुरुषों में यह संख्या 14.6% है।
- **क्षेत्रीय प्रवास पैटर्न:**
  - 41.8% प्रवासी उत्तरी केरल से हैं, मुख्य रूप से मलप्पुरम जिले से।
  - मध्य केरल में 33.1% प्रवासी हैं, जबकि गैर-जीसीसी गंतव्यों की ओर अधिक प्रवास होता है।
  - दक्षिण केरल राज्य के 25% प्रवासियों को भेजता है।
- **प्रवासियों की धार्मिक संरचना:**
  - केरल की आबादी का 26% हिस्सा मुस्लिमों का है, जो प्रवासियों का 41.9% हिस्सा हैं।
  - हिंदू, जो आबादी का 54% हैं, प्रवासियों का 35.2% हिस्सा हैं।
  - ईसाई, जो आबादी का 18% हैं, प्रवासियों का 22.3% प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **बढ़ता धन प्रेषण:**
  - 2018 में धन प्रेषण 85,092 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 216,893 करोड़ रुपये हो गया, जो 154.9% की वृद्धि है।
  - 2023 में प्रति व्यक्ति धन प्रेषण 61,118 रुपये था; प्रति प्रवासी परिवार औसत धन प्रेषण 2.24 लाख रुपये था।
  - प्रेषण का उपयोग घर/दुकान के नवीनीकरण (15.8%), बैंक ऋण चुकौती (14%), शैक्षिक व्यय (10%), और चिकित्सा बिल (7.7%) के लिए किया गया; केवल 6.9% दैनिक खर्चों के लिए थे।
- **वापस लौटने वालों में वृद्धि:**
  - पिछले पाँच वर्षों में वापस लौटने वालों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है: 495,962 व्यक्ति (38.3%)।
  - **मुख्य कारण**: नौकरी छूटना (18.4%), कम वेतन (13.8%), खराब कार्य परिस्थितियाँ (7.5%), बीमारी या दुर्घटना (11.2%), केरल में काम करने की इच्छा (16.1%), घर की याद (10.2%), और सेवानिवृत्ति (12.1%)।
- **पिछले 30 वर्षों में रुझान:**
  - 1998 में पहले केएमएस ने अनुमान लगाया था कि 1.4 मिलियन केरलवासी प्रवास कर गए थे।
  - यह 2003 में 1.8 मिलियन, 2008 में 2.2 मिलियन और 2013 में 2.4 मिलियन हो गया, जो 2018 में घटकर 2.1 मिलियन हो गया।
  - वैश्विक मलयाली प्रवासी समुदाय का अनुमान 5 मिलियन है, जबकि अन्य 3 मिलियन केरल के बाहर लेकिन भारत में रहते हैं।

आगे की राह

- **शैक्षिक अवसंरचना:**
  - राज्य के शैक्षिक अवसंरचना को बढ़ाना और छात्र प्रवासियों के लिए सुरक्षित प्रवास मार्गों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
  - धोखाधड़ी और जालसाजी को रोकने के लिए भाषा प्रशिक्षण केंद्रों और भर्ती एजेंसियों की नियमित निगरानी और विनियमन।
  - **ब्रेन गेन को प्रोत्साहित करना:** विदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों को मूल्यवान कौशल प्राप्त करने के बाद घर लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ विकसित करना।
- **श्रमिक प्रवासी कौशल में सुधार:**
  - बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने और विदेश में भुगतान करने के लिए श्रमिक प्रवासियों के कौशल को मजबूत करना।
  - एक बेहतर विकल्प के रूप में गैर-वापसी करने वाले गंतव्यों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से पश्चिम में।
  - **वापसी करने वाले प्रवासियों का पुनर्वास**: वापसी करने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या के लिए व्यापक पुनर्वास और पुनः एकीकरण उपायों को लागू करना।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)

संदर्भ: *भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा सोमवार को POCSO मामले के सिलसिले में आपराधिक जांच विभाग (CID) के समक्ष पेश हुए।*

- **उद्देश्य:** POCSO अधिनियम की स्थापना बच्चों को यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए की गई थी।
- **अधिनियमन:** इसे 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत अधिनियमित किया गया था।
- **संशोधन:** 2019 में, अपराधियों को रोकने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- **POCSO अधिनियम के प्रावधान:**
  - **सीमा:** यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाता है।
  - **जांच की समयरेखा:** एफआईआर दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए और छह महीने के भीतर मुकदमे समाप्त होने चाहिए।
  - **गंभीर हमला:** अधिनियम मानसिक रूप से बीमार बच्चों, सरकारी कर्मचारियों या बच्चे पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों से जुड़े हमले को गंभीर मानता है।
  - **सज़ा:** गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए, अधिनियम में न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है।
  - **रिपोर्टिंग:** अधिनियम में अपराधों की रिपोर्टिंग अनिवार्य है, और ऐसा न करने पर छह महीने की सज़ा या जुर्माना हो सकता है।
  - **झूठी शिकायतें**: यह झूठे आरोपों को भी दंडित करता है।
  - **2019 संशोधन:** संशोधनों ने कुछ अपराधों के लिए न्यूनतम सज़ा बढ़ा दी और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर हमले के लिए उच्च दंड पेश किया।
- **अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **लिंग-तटस्थ:** यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो।
  - **अनिवार्य रिपोर्टिंग:** इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपराध के बारे में जानकारी होने पर रिपोर्ट करना ज़रूरी है।
  - **कोई समय सीमा नहीं**: अधिनियम बिना किसी समय सीमा के किसी भी समय दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग करने की अनुमति देता है।
  - **गोपनीयता**: यह पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है।
  - **संस्थागत आवश्यकताएँ:** संस्थानों को बच्चों के साथ बातचीत करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमित पुलिस सत्यापन और प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए तथा शून्य-सहिष्णुता वाली बाल संरक्षण नीतियाँ अपनानी चाहिए।
- **POCSO अधिनियम के सामान्य सिद्धांत**
  - **जीवन और अस्तित्व का अधिकार:** अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाना है।
  - **बच्चे के सर्वोत्तम हित**: यह बच्चे के सामंजस्यपूर्ण विकास को प्राथमिकता देता है।
  - **गरिमा और करुणा**: न्याय प्रक्रिया के दौरान बाल पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए।
  - **भेदभाव नहीं करना**: अधिनियम बच्चे की पृष्ठभूमि के बावजूद पारदर्शी और न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
  - **निवारक उपाय:** यह दोबारा दुर्व्यवहार के जोखिम वाले बच्चों को आत्म-सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - **सूचना का अधिकार**: बच्चे को कानूनी कार्यवाही के बारे में सूचित रखा जाना चाहिए।
  - **सुनवाई का अधिकार**: बच्चों को उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - **प्रभावी सहायता**: अधिनियम बच्चे के ठीक होने के लिए आवश्यक सहायता के प्रावधान को अनिवार्य बनाता है।
  - **गोपनीयता संरक्षण:** कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चे की गोपनीयता और पहचान की रक्षा की जानी चाहिए।
  - **कठिनाई को कम करना**: इस अधिनियम का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया के दौरान द्वितीयक उत्पीड़न और कठिनाई को कम करना है।
  - **सुरक्षा**: यह न्याय प्रक्रिया से पहले, उसके दौरान और उसके बाद बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - **मुआवज़ा**: अधिनियम बच्चे की राहत और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए मुआवज़े का प्रावधान करता है।

बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए वैश्विक कानून

- **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीआरसी):**
  - **अनुच्छेद 34:** इस अनुच्छेद के तहत राज्यों को बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने की आवश्यकता है।
  - **अनुच्छेद 35:** यह राज्यों को बच्चों के अपहरण, बिक्री या तस्करी को रोकने के लिए बाध्य करता है।

News in Between the Lines

ई-माइग्रेट पोर्टल

हाल ही में, विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ई-माइग्रेट पोर्टल पर डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

ई-माइग्रेट पोर्टल के बारे में:

- ई-माइग्रेट पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो भारतीय श्रमिकों के लिए उत्प्रवास प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने में मदद करता है
- इसे प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (एमओआईए) द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था।
- पोर्टल ईसीएनआर (उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं) श्रेणी के पासपोर्ट वाले प्रवासियों को विदेश में रोजगार के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
- यह विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा ब्लू-कॉलर श्रमिकों की मदद करने के लिए एक पहल है जो उन देशों में काम करना चाहते हैं जहां उत्प्रवास जांच (ईसीआर) की आवश्यकता होती है।
- इसका लक्ष्य उत्प्रवास प्रक्रिया को ऑनलाइन, आसान और सुरक्षित बनाना और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
- यह प्रवासन प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर और विदेशी नियोक्ताओं, पंजीकृत भर्ती एजेंटों और बीमा कंपनियों को जोड़ने वाला एक साझा मंच बनाकर ऐसा करता है।
- यह नागरिकों को पंजीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन और सेवा बुकिंग सहायता प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ एकीकृत होता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

तीस्ता नदी

हाल ही में, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने उत्तरी सिक्किम के लाचुंग से लगभग 50 पर्यटकों को बचाया, उन्हें तीस्ता नदी पर नए टूंग पुल के माध्यम से चुंगथांग और मंगन के बीच संपर्क बहाल करने के बाद मंगन शहर में स्थानांतरित कर दिया।

तीस्ता नदी के बारे में:

- तीस्ता नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से होकर बहती है।
- यह नदी उत्तरी सिक्किम हिमालय में त्सो ल्हामो झील से निकलती है।
- यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है।
- तीस्ता नदी दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) के पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से होकर दक्षिण की ओर बहती है, सिवोक खोला दर्रे से दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ती है और अंततः ऊपरी पद्मा नदी (गंगा नदी) में मिल जाती है।
- तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बाएं किनारे की सहायक नदियाँ जैसे लाचुंग छू, रानी खोला, दिक छू, चाकुंग छू और रंगपो छू तथा दाएं किनारे की सहायक नदियाँ जैसे ज़ेमू छू, रंगीत नदी और रंगयोंग छू शामिल हैं।

सुर्खियों में स्थल

पेंटानल वेटलैंड

हाल ही में, ब्राज़ील के पेंटानल वेटलैंड में अभूतपूर्व आग लगी, जिसने जून के लिए नए रिकॉर्ड बनाए।

पेंटानल वेटलैंड के बारे में:

- पेंटानल दक्षिण अमेरिका में मौसमी रूप से बाढ़ वाली वेटलैंड है जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की वेटलैंड और उष्णकटिबंधीय वेटलैंड है।
- यह ब्राज़ील के माटो ग्रोसो डो सुल राज्य में स्थित है, साथ ही माटो ग्रोसो, बोलीविया और पैराग्वे के कुछ हिस्सों में भी स्थित है।
- यह एवरग्लेड्स के आकार से 20 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है और अनुमानित 68,000 वर्ग मील में विस्तृत है।
- यह प्रचुर मात्रा में पानी वाले पारिस्थितिकी तंत्रों का मोज़ेक है और वन्यजीवों की समृद्ध विविधता का आवास है।
- यह जगुआर, विशाल ऊदबिलाव, कैपीबारा, ब्लैक कैमन जैसे प्रतिष्ठित वन्यजीवों और कई प्रवासी पक्षियों सहित 650 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियों का आवास है।
- एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हुए, पैंटानल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पैंटानल को 2000 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में, किस चिकित्सा संस्थान को "पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान" के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया था? – **राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (NIIMH), हैदराबाद**
- हाल ही में, सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? – **दक्षिण अफ्रीका**
- किस संगठन ने हाल ही में भारतीय कला और संस्कृति को और अधिक सुलभ बनाने के लिए संसद टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? – **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)**
- किस देश ने 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? – **इटली**
- हाल ही में, घुड़सवारी में तीन-सितारा ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? – **श्रुति वोरा**

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com